

**कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, इटावा।**

संख्या 4139 /जि0आ0अ0-इटावा/व्यवस्थापन 20-21/ई-लाटरी/ दिनांक

01 मार्च, 2020

**विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नवीनीकरण के उपरान्त देशी शराब की-07, विदेशी मदिरा की-04 तथा वीयर की-12 दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक ई-लाटरी के माध्यम से किया जाना है। दुकानवार विवरण निम्नवत् है:-

**1-देशी मदिरा**

वर्ष 2020-21 हेतु ई-लाटरी के लिये देशी शराब दुकानों का निर्धारित विवरण									
क्र० सं०	दुकान का नाम	शाप आई.डी.	दुकान की प्रास्थिति	प्रोसेसिंग शुल्क	वर्ष 2020-21 का निर्धारित MGQ	वर्ष 2020-21 की बे0ला0फी0	प्रतिभूति धनराशि (रुपये में)	वांछित हैसियत प्रमाण पत्र का मूल्य (रुपये में)	धरोहर धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नया शहर	26192	NPP	20000	81180	2435400	1834668	3463680	243540
2	सरायनरोत्तम	25161	Vill	20000	16848	505296	380765	718824	50530
3	नहरपुल इकदिल (नगला खूबी)(राजस्व ग्राम)	26398	NP	20000	75780	1850904	1712628	3162864	185091
4	राजा का बाग	26577	Vill	20000	23304	587664	526670	975728	58766
5	सुतियानी	25262	Vill	20000	31752	271260	717595	1241202	27126
6	चन्द्रपुरा (तिरखी त्रिलोकपुर)	25309	Vill	20000	20004	298584	452090	803248	29859
7	बाबानगला	26699	Vill	20000	49908	949608	1127921	2038136	94961

**2-विदेशी मदिरा**

वर्ष 2020-21 हेतु ई-लाटरी के लिये विदेशी मदिरा की दुकानों का निर्धारित विवरण								
क्र० सं०	दुकान का नाम	शाप आई. डी.	दुकान की प्रास्थिति	प्रोसेसिंग शुल्क	लाइसेंस फीस (रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रुपये में)	वांछित हैसियत प्रमाण पत्र का मूल्य (रुपये में)	धरोहर धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ईदगाह	25758	NPP	20000	2365000	236500	2365000	236500
2	बलरई	25236	Vill	20000	580000	58000	580000	58000
3	जसवन्तनगर-1	25149	NPP	20000	4370000	437000	4370000	437000

4	पक्कातालाब	25493	NPP	20000	3285000	328500	3285000	328500
---	------------	-------	-----	-------	---------	--------	---------	--------

### 3-वीयर

वर्ष 2020-21 हेतु ई-लाटरी के लिये बीयर की दुकानों का निर्धारित विवरण								
क्र० सं०	दुकान का नाम	शाप आई.डी.	दुकान की प्रास्थिति	प्रोसेसिंग शुल्क	लाइसेंस फीस (रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रुपये में)	वांछित हैसियत प्रमाण पत्र का मूल्य (रुपये में)	धरोहर धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिविल लाइन	25771	NPP	20000	645000	64500	645000	64500
2	कुम्हार	24683	Vill	20000	110000	11000	110000	11000
3	टिमरुआचौराहा	24901	Vill	20000	495000	49500	495000	49500
4	बीना	26330	Vill	20000	115000	11500	115000	11500
5	सरैया चुगी	26350	NPP	20000	1380000	138000	1380000	138000
6	वैदपुरा	25414	Vill	20000	175000	17500	175000	17500
7	सरायमूपत	25590	Vill	20000	275000	27500	275000	27500
8	बाहरपुरा	26437	Vill	20000	145000	14500	145000	14500
9	मनियामऊ	26446	Vill	20000	115000	11500	115000	11500
10	अहेरीपुर	26456	Vill	20000	115000	11500	115000	11500
11	हनुमन्तपुरा	25132	Vill	20000	115000	11500	115000	11500
12	भरथना चौराहा	25942	NPP	20000	610000	61000	610000	61000

### ई-लाटरी हेतु समय सारणी-

क्र०सं०	दिनांक व समय	विवरण
1	03.03.2020 प्रातः 10:00 बजे से	ई-लाटरी पोर्टल <a href="http://upexciselottery.gov.in">upexciselottery.gov.in</a> पर आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ।
2	11.03.2020 12:00 बजे तक	ई-लाटरी हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय।
3	16.03.2020 प्रातः 11:00 बजे से	ई-लाटरी खुलने की तिथि, स्थान-विकास भवन स्थित नवीन सभागार, इटावा।

### आवेदकों के लिये दिशा निर्देश:-

1. इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम ई-लाटरी प्रणाली पोर्टल [www.upexciseelottery.gov.in](http://www.upexciseelottery.gov.in) पर पंजीकृत करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत हुयी दुकानों के अनुज्ञापियों को नवीनीकरण प्रक्रिया में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी0 व पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करते हुये सीधे आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा होगी।

2. आवेदक को निर्धारित फार्मेट एवं साइज की अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी, धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट एवं शपथ पत्र की फाइल कम्प्यूटर/पेन ड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे।
3. आवेदक को धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदन करने के उपरान्त कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, इटावा में जमा करना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक द्वारा धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया जायेगा तो आवेदक को ई-लाटरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।
4. पंजीकरण हेतु आवेदक को अपना आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर भरना होगा, आवेदक के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को निर्दिष्ट स्थल पर भरने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें आवेदक वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करेगा।
5. प्राप्त आईडी व पासवर्ड के आधार पर पोर्टल पर लांगिन करके आवेदक अपनी इच्छानुसार जनपद की आबकारी दुकान से सम्बन्धित विवरण देख कर आवेदन की कार्यवाही करेगा।
6. सह आवेदक की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। एक दुकान पर एक आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आनलाइन जमा की गयी प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
7. वांछित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी, इटावा के नाम से बना हुआ ही स्वीकार होगा एवं इसका प्रयोग लाटरी के किसी चरण में केवल आवेदित दुकान के सम्बन्ध में ही किया जायेगा, यदि किसी बैंक ड्राफ्ट को लाटरी के किसी चरण में एक से अधिक आवेदित दुकानों के आवेदन पत्रों में अपलोड किया पाया जायेगा तब प्रथम आवेदन पत्र को छोड़कर शेष समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।
8. अन्य नियमानुसार देय धनराशियां यथा बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा।
9. वर्ष-2020-21 में किसी आवेदक को सम्पूर्ण उ0प्र0 में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शॉप को मिला कर दो से अधिक दुकाने आवंटित नहीं की जायेगी।  
व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी किसी कार्य दिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, इटावा व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

(कमल कुमार शुक्ल)  
जिला आबकारी अधिकारी  
इटावा

(जे0बी0 सिंह)  
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी  
इटावा

संख्या /तददिनांक।  
प्रतिलिपि:-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की वेबसाइट पर विज्ञापित अपलोड कराने का कष्ट करे।

(कमल कुमार शुक्ल)  
जिला आबकारी  
अधिकारी  
इटावा।

